सचिव

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

अ.शा.सं.2/2/5(DWS)/2014

25 जून 2014

प्रिय,

मैं समझता हूँ कि राजीव गाँधी पंचायत शक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए), पंचायती राज मंत्रालय, ने राज्यों में परामर्शदाताओं सहित भूमिगत कार्यकर्ताओं को दायर किया है जो न केवल पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं वरन गाँवों और पंचायतों से संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देते हैं।
इस संबंध मे निम्नांकित मंद्दे इस मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण हैं:

जल एवं स्वच्छता:

1. जल गुणवत्ता नमूनों का परीक्षण
2. ग्रामीणों द्वारा घरेलू नल के कनेक्शन की मांग और कनेक्शन चार्जों के मासिक जल शुल्कों का भुगतान।
3. शौच के बाद और खाने से पूर्व बेहतर साफ सफाई और हाथ धोने की आदत।
4. स्कूलों में जल की आपूर्ति और स्कूली शौचालयों की बेहतर साफ सफाई।
5. पंचायतों द्वारा जल आस्तियों जैसे हैण्डपंपों, ट्यूबवेलों, पाइप नेटवर्क का रख-रखाव जो कि एनआरडीडब्ल्यू के तहत दी गई प्रचालन और रख-रखाव निधियों के 15% में से और प्रयोगकर्ता जल प्रभारों के संग्रहण से किया जाता है।
6. पी एच ई डी/ जल निगम से पंचायतों द्वारा सभी जल आस्तियाँ ले लेना।
7. स्थानीय राज्य सरकार पदाधिकारियों से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों/सामुदायिक शौचालयों को लेना और फिर इन शौचालयों के प्रचालन और रख-रखाव को सुपुर्द करना।
8. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का नियमित रखरखाव
9. मैं आभारी हूँगा यदि पंचायतों द्वारा इन कार्यों को सक्रिय ढ़ंग से किया जाए और साथ ही पंचायतों में जमीनी कार्यकर्ता भी एवं आरजीएसपीए के तहत परामर्शदाता भी ग्रामीण आबादी की स्वीकार्यता और कार्यान्वयन हेतु इस संबंध में उनसे अंतर परस्पर संवाद को सक्रिय रूप से निभाएँ।

आपका

(पंकज जैन)

श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी-आई.ए.एस

सचिव एमडीडब्ल्यूएस